न्यायालयः विशिष्ट न्यायाधीश, एन०डी०पी०एस० प्रकरण श्रीगंगानगर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी: अजय कुमार भोजक

जिला न्यायाधीश संवर्ग,

विविध फौजदारी प्रकरण संख्या: 90 /2026 CIS No. 74/2026

CNR No. RJSG070001192026

सेशन प्रकरण संख्या 11/2026 सरकार बनाम गुरभेज सिंह आदि

गुरदेव सिंह पुत्र श्री निर्मल सिंह , मजहबी सिख निवासी जामाराय , पुलिस थाना गोन्दवाल साहिब, तहसील व जिला तारणतारण

--प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य।

---अप्रार्थी

अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र धारा-482 बीएनएसएस(438 दण्ड प्रक्रिया संहिता old)
प्र.सू.रि.सं0 533/2025 पुलिस थाना कोतवाली, , श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत धारा-8/ 21 डीपीएस एक्ट, 1985

उपस्थितिः-

1. श्री गुरप्रीत सिंह विद्वान अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त।
2. श्री विजेन्द्र कुमार विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक, वास्ते राज्य।

-:आदेशः-

दिनांक: 12-03-2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा-482 बीएनएसएस के तहत अग्रिम जमानत आवेदन का यह आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसकी प्रति विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक को दिलाई गई। जमानत आवेदन पत्र पर उभय पक्षों को सुना गया एवं सम्बन्धित केस डायरी एवं सेशन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

2 प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि दिनांक 6-12-2025 को कार्यवाहक थानाधिकारी अमन उपनिरीक्षक मय मुलाजमान के गश्त करते हुए वक्त 1.15 ए एम पर नई धानमण्डी की तरफ गश्त करता हुआ जा रहा था तो सामने सड़क किनारे दो युवक पैदल पैदल जाते हुए दिखाई दिये जो पुलिस की गाड़ी को देखकर सड़क किनारे जगदम्बा मार्केट में दुकानों के पीछे अपने आपको छुपाने का प्रयास करने लगे , जिसपर उपनिरीक्षक मय जाप्ता ने उन्हें काबू किया नाम पता पूछा तो एक युवक ने अपना नाम गुरभेज सिंह सिंह बताया उसकी तलाशी लेने पर एक थैली में थैली सहित 54.97 ग्राम हेरोईन (चिट्टा) बरामद हुआ , अभियुक्त गुरप्रीत सिंह की तलाशी ली गई तों एक थैली में थैली सहित 50.92 ग्राम हेरोईन (चिट्टा) बरामद हुआ इस प्रकार दोनों अभियुक्तगण से

कुल 105.89 ग्राम हेरोईन (चिट्टा) बरामद हुआ । अभियुक्तगण ने इसका कोई लाईसेंस परमिट नहीं बताया। अभियुक्त गुरभेज सिंह ने पूछताछ में बताया कि वह और गुरप्रीत सिंह रिश्तें में चाचा भतीजा लगते हैं , वे दोनों हेरोईन का नशा करने के आदी हैं, सोनू जैन ने उसे हेरोईन लाकर दे देने का कहा तो वह गुरदेव सिंह से 110 ग्राम हेरोईन लेकर आया और कुछ हेरोईन का हमनें नशा कर लिया व हेरोईन लेने के बाद सोनू जैन को खरीदने की जानकारी दी थी तो सोनू जैन ने उसे गंगानगर बस स्टेण्ड आकर डिलवरी देने का कहा था जिसपर वह अपने भतीजे गुरप्रीत सिंह को लेकर डिलीवरी देने जा रहे थे , अभियुक्त गुरप्रीत सिंह ने पूंछताछ में कथन किया कि मैं व गुरभेज सिंह आपस में रिश्ते में चाचा भतीजा लगते हैं दोनों हेरोईन का नशा करने के आदी हैं व हेरोईन साथ में रहकर बिक्री करते हैं, बिक्री में होने वाले मुनाफे को हम आपस में बांट लेते हैं । दिनांक 5-12-2025 को गुरभेज सिंह ने मुझे कहा कि गंगानगर में सोनू जैन को हेरोईन की डिलीवरी देनी है , ये हेरोईन गंगानगर पहुंचाने के लिये मुझे 5000 रूपये दिहाड़ी देने की बात तय हुई थी जिसपर हम हेरोईन को आपस में बांटकर दिनांक 5-12-2025 को वक्त करीब 1-00 ए एम पर पंजाब रोड़वेज की बस में तरणतारण पंजाब से रवाना होकर शाम को गंगानगर पहुंचे थे । गुरभेज ने सोनू जैन को गंगानगर पहुंचने की जानकारी दी तो उसने हमें गंगानगर में शिव चौक पर डिलीवरी देने का कहा तो हम दोनों डिलीवरी देने जा रहे थे तो उसी दौराने हमें पकड़ लिया । इनके कथन धारा 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत लेखबद्ध किये गये। अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। बरामदशुदा हेरोईन में से नियमानुसार सैम्पलिंग आदि की कार्यवाही की जाकर फर्द बरामदगी तैयार की गई व थाना पंहुचकर पुलिस थाना कोतवाली, श्रीगंगानगर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या- 533/2025 अन्तर्गत धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट दर्ज की गई। बाद अनुसंधान सह अभियुक्तगण गुरभेज सिंह, गुरप्रीत सिंह के विरूद्ध धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत चालान पेश किया गया व अभियुक्त गुरदेव सिंह के विरूद्ध धारा 193(9) बीएनएसएस के तहत मामला लम्बित रखा गया । इस मामले में गिरफ्तारी की आशंका होने पर प्रार्थी की ओर से यह अग्रिम जमानत आवेदन पेश किया गया है।

3. प्रार्थी/अभियुक्त ने बहस के दौरान जमानत आवेदन-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह निवेदन किया कि प्रार्थी को प्रकरण में गलत तरीके से मुल्जिम बनाने का प्रयास किया जा रहा है, प्रार्थी द्वारा कोई हेरोईन विक्रय नहीं की गई है और न ही सह अभियुक्त ने 70000 रूपये दिये , प्रार्थी अन्य मुल्जिमान को नहीं जानता । बरामदगी में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। प्रार्थी से कोई बरामदगी नहीं की जानी है। मुल्जिमान गुरभेज सिंह व गुरप्रीत सिंह का जमानत पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। प्रार्थी/ अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया ।

4. इसके विपरीत विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध प्रकट करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी के विरूद्ध गंभीर अपराध के आरोप हैं।

अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किए जाने का निवेदन किया।

5. उभय पक्षकारान के तर्कों पर मनन किया। सेशन पत्रावली व केस डायरी का अवलोकन किया गया। केस डायरी के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी के सह अभियुक्तगण गुरभेज सिंह व गुरप्रीत सिंह के कब्जा से क्रमशः थैली सहित 54.97 ग्राम हेरोईन एवं थैली सहित 50.92 हेरोईन कुल 105.89 ग्राम हेरोईन (चिट्टा) बरामद हुआ है। दौराने अनुसंधान सह अभियुक्त गुरभेज सिंह ने हेरोईन गुरदेव सिंह से खरीद करने का कथन किया है। इस प्रकार प्रार्थी पर सह अभियुक्त गुरभेज सिंह को हेरोईन विक्रय कर आपराधिक षड्यंत्र कारित करने का आरोप है।

6 इस प्रकार प्रकरण के इस प्रक्रम पर यह नहीं माना जा सकता कि प्रार्थी को इस प्रकरण में मिथ्या रूप से आलिप्त किया गया है।

7 माननीय राज० उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार प्रार्थी का आपराधिक रिकार्ड तलब करने पर पुलिस थाना की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का पूर्ववर्ती आपराधिक रिकॉर्ड है उसके विरूद्ध मुकदमा संख्या 253/2020 धारा 302, 307, 304,328,120 बी भारतीय दण्ड संहिता व धारा 61,1/14 आबकारी अधिनियम पीएस सदर तरणतारण एवं मुकदमा संख्या 308/2023 धारा 21-बी 61/85 एनडीपीएस एक्ट पुलिस थाना गोन्दवाल साहिब तरणतारण दर्ज हुए हैं।

8. इस प्रकार प्रार्थी/ अभियुक्त के विरूद्ध इस प्रकरण के अलावा एक अन्य एनडीपीएस एक्ट का प्रकरण दर्ज हुआ है। इस प्रकार प्रार्थी के विरूद्ध गंभीर अपराध के आरोप है। अतः मामले के समस्त तथ्य, परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए न्यायालय की राय में प्रार्थी/ अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

9 परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त गुरदेव सिंह की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(अजय कुमार भोजक)

10 आदेश आज दिनांक 12-03-2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अजय कुमार भोजक)

SUNENA Steno Gr.III "Authenticated document" Digitally signed by SUNENA Date: 2026.03.12 16:07:44 +0530